



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की छाणी, वैशाली नगर, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटाबाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
सरसक (पूर्व न्यायाधीपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
सरसक (पूर्व पुलिस महाविदेशक)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
सरसक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
सरसक (पूर्व आई.ए.एस)



हमारे डेप्य पुः १० अक्षरगत नेक
"अविश्व आरक्षण के राशे चलत
पुर्जा के भी, विपक्षकारी है।"
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुकेशजी को लिखे पत्र से साधार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्मानीय अध्यक्ष :-**

जयपुर

योगेन्द्र मेघसर
(पुत्र संसदीयार्थी)
मो. 9166494225

अन्वर

एन. के. झागद
(अधिवक्ता अधिवक्ता)
मो. 9414008416

वाई. के. पोनी
मो. 9414139621

हेमराज गोयल
(संबन्धित अजीवन अधिवक्ता)
मो. 9460926850

प्रहलाद सिंह राठी
(पूर्व आई.ए.एस)
मो. 9414085447

अजय चतुर्वेदी
(अधिवक्ता अधिवक्ता)
मो. 9413385665

दुलस सिंह चूडावत, एडवोकेट
(सर्व. प्रशासनिक - सर्वि मन्त्रालय राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
सरसक : वक्ता मंत्री (स्थिक - पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक 33130 - 33430

दिनांक : 23.01.2016

श्रीमान _____,
संभाग / जिला / तहसील अध्यक्ष,
समता आन्दोलन _____ ।

विषय:- कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के पुतला दहन दिनांक 16.02.2016 को किया जाये- कार्य योजना।

महोदय,

आप जानते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट के राष्ट्रवादी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा के कांग्रेसी सांसदों के विरुद्ध हमारे ज्ञापन पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा अब तक कोई कार्रवाही नहीं की गई है। अतः पूर्व घोषणा के अनुसार राजस्थान के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालय पर दिनांक 16 फरवरी, 2016 को लंच समय में कलेक्टर/एसडीएम मुख्यालय पर श्रीमती सोनिया गांधी के पुतले जलाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। आप कृपया निम्न कार्य योजना पर पूरे उत्साह से अमल करके इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाये:-

1. कांग्रेस के जिला एवं ब्लॉक तहसीलों के अध्यक्ष को श्रीमती सोनिया गांधी के नाम लिखित ज्ञापन शिष्टमण्डल के साथ जाकर सौंपे। ज्ञापन की प्रति संलग्न है।
अ. जिला कांग्रेस अध्यक्षों को दिनांक 30 जनवरी, 2016 को
ब. तहसील कांग्रेस अध्यक्षों को दिनांक 31 जनवरी, 2016 को
ज्ञापन देते समय फोटो लेवें तथा फोटो सहित प्रेस विज्ञापि जारी करें और अखबारों में छपी खबरों की प्रति प्रदेश मुख्यालय को भेजे।
2. जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर वकीलों और आम नागरिकों को कम से कम एक-एक हजार पम्पलेट वितरित करना तथा पुतला दहन कार्यक्रम में आने का आमंत्रण देना। पम्पलेट का प्रारूप संलग्न है। अपने स्तर पर छपवायें और बंटवाते समय फोटो खिचकर फोटो सहित प्रेस विज्ञापि जारी करें। अखबारों में छपी खबरों की प्रेस क्लिप प्रदेश मुख्यालय को भेजे।
अ. जिला मुख्यालयों पर पम्पलेट वितरण दिनांक 05 फरवरी, 2016
ब. तहसील मुख्यालयों पर पम्पलेट वितरण दिनांक 06 फरवरी, 2016
3. जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फेंस करना। प्रेस कॉन्फेंस के लिए प्रेस नोट का प्रारूप संलग्न है।
अ. जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फेंस दिनांक 13 फरवरी, 2016
ब. तहसील मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फेंस दिनांक 14 फरवरी, 2016
प्रेस कॉन्फेंस की प्रेस कवरेज की प्रेस क्लिप कृपया प्रदेश मुख्यालय को भेजे।
4. पुतला दहन- दिनांक 16 फरवरी 2016 को लंच समय में सभी जिला कलेक्टर एवं तहसील एसडीएम मुख्यालय के सामने या प्रमुख स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन किया जावे। जिसकी फोटो सहित प्रेस विज्ञापि जारी करके अखबारी खबरों की प्रेस क्लिप प्रदेश मुख्यालय भेजी जावे।
सभी संभाग, जिला एवं तहसील पदाधिकारियों से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रमों में पूरा सहयोग करें तथा अधिकतम संख्या जुटावे। धन्यवाद।

भवदीय,

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की डाणी, वैशाली नगर, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

सरसक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता

सरसक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

सरसक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

सरसक (पूर्व आई.ए.एस)



भारत प्रेरणा पुस्तक: १० अक्षरलाल देवत
'बलिष्ठ आरक्षण के राते बलवा
पूरुष ही नही, निष्कर्मकारी है।'
(27 दून 1961 को प्रधानमंत्री से पत्र
में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी

सं. ३३२, मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 94133-89665

राम निरंजन गौड़

महासचिव, मो. 94144-08499

ललित चावचा

कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं

पदेन सम्पादकीय अध्यक्ष :-

जयपुर

विष्णु मेघसर

(उपजल संरक्षण विभाग)

मो. 9166494225

अजमेर

एन. के. श्यामल

(अधीनस्थ अधिकांक)

मो. 414008416

बीकानेर

वाई. के. योगी

मो. 9414139621

भरतपुर

हेमराज गोयल

(संविधान सभा अधिकांक)

मो. 9460926850

जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

(पूर्व जज, ए.एस)

मो. 9414085447

बीकानेर

अजय सतुर्वेदी

(अधीनस्थ अधिकांक)

मो. 9413385665

जयपुर

पुल्हा सिंह पंड्यात, एडवोकेट

(सर्व. प्रवक्ता- सीध महासभा राज.)

मो. 9571875488

जे.एस. राजावत

संसाधन : सभ्य ज्योति (सचिव-पत्र)

मो. 9314962106

क्रमांक 31231-32021

दिनांक : 19.12.2015

श्रीमती सोनिया गांधी

राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

नई दिल्ली ।

विषय :- कांग्रेस की राष्ट्रपति श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन की सूचना ।

संदर्भ :- कांग्रेसी सांसदों को देशद्रोह/राष्ट्रद्रोह करने से रोकने की प्रार्थना ।

महोदय,

कृपया इस आवेदन के साथ संलग्न राजस्थान पत्रिका(19.12.2015) एवं दैनिक भास्कर (19.12.2015) की प्रेस क्लिपिंग का अवलोकन करे जिससे सुचित होता है कि कांग्रेस के अनेक राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा के कुल 58 सांसदों के साथ एक राय होकर गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री जे.डी. पारदीवाला के विरुद्ध उनके द्वारा न्यायिक निर्णय में की गई आरक्षण एवं भ्रष्टाचार विरोधी टिप्पणी के लिए महाअभियोग लाने का प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष को सौंपा है ।

भारतीय संविधान की यह सर्वविधित संविधानिक व्यवस्था है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों प्रजातांत्रिक स्तम्भों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है । यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के प्रावधानों की समीक्षा करने और उनका निर्वचन करने का अधिकार है । इस समय पूरे देश में आरक्षण एवं भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों याचिकाएँ लम्बित हैं, ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त सांसदों द्वारा एक राय होकर एक राष्ट्रवादी कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुये देश के सैकड़ों राष्ट्रवादी एवं कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीशों को प्रत्यक्ष रूप से डराने, धमकाने और भयभीत करने का कृत्य है ताकि वे संविधान प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्रता एवं निष्पत्तिका के साथ नहीं कर सकें । दूसरी ओर यह कृत्य पूरे देश में जातिगत उन्माद फैलाकर करोड़ों लोगों को जातिगत संघर्ष में झकेल कर व्यापक स्तर पर मारकाट फैला कर चुगी हुई सरकारों को अस्थिर करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास है । यह सभी कृत्य राजद्रोह है, देशद्रोह है, अविधिक एवं असंवैधानिक भी होने के कारण इन सांसदों द्वारा ली गई संविधान रक्षा की शपथ का उल्लंघन है ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रवादी राजनैतिक पार्टी है, जो जातिगत और साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के या राष्ट्रद्रोह/देशद्रोह के किसी कृत्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं कर सकती है । अतः आपसे प्रार्थना है कि आप सात दिवस के अन्दर :-

1. कृपया कांग्रेसी सांसदों को ऐसे देशद्रोही कृत्य से तत्काल हटने को निर्देशित करे तथा इस आशय का उनका लिखित आवेदन राज्यसभा अध्यक्ष को दिलावते हुये पूरी तरह सार्वजनिकतौर पर प्रचारित करे ।
2. यदि वे उपरोक्त बिन्दु 1 में याचित कार्य नहीं करते है तो आप उन्हें कांग्रेस पार्टी से तत्काल बर्खास्त करे ।
3. यदि आप उपरोक्त दोनों में से एक भी कार्य नहीं कर पाती है तो समता आन्दोलन कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आपका (श्रीमती सोनिया गांधी का) पुतला दहन करके कांग्रेस पार्टी को देशद्रोहियों की पार्टी प्रचारित किया जावेगा । तत्काल सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में

आपका शुभाकांक्षी,

(पाराशर नारायण)

अध्यक्ष

प्रति:- सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों को प्रेषित कर अनुरोध है उपरोक्त 58 सांसदों को देशद्रोह व राजद्रोह का अपराध करने से रोके ताकि संसद व सांसदों की गरिमा बनी रह सके ।

पम्पलेट का प्रारूप :-

हर इंसान—एक सम्मान

एक राष्ट्र—एक जान

मेरा भारत महान

राष्ट्रवादी नागरिकों से

:: अपील ::

नागरिक मित्रों,

आप जानते हैं कि नुजरात हाईकोर्ट के आक्षेप विरोधी निर्णय देने वाले न्यायाधीश श्री जे.डी.चारदीवाला के खिलाफ राज्य सभा के 58 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया है। इन सभी 58 सांसदों में आठों से ज्यादा सांसद कांग्रेस के हैं। एक राष्ट्रवादी पार्टी के सांसदों द्वारा जातिवादी राजनीति करते हुये अपने पद का दुरुपयोग करते हुये न्यायपालिका को आतंकित करने के पुरस्कार से महाभियोग प्रस्ताव लाना देशद्रोह है, असह्य अपराध है।

इसीलिए समतल आन्दोलन की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी को ज्ञापन भेजकर आग्रह किया गया था कि वे अपने सांसदों को इस अपराधिक कृत्य से अलग कर लें। अन्वया पूरे राजस्थान के 33 जिला एवं 270 तहसील मुख्यालयों पर उनका पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जावेगा। इस क्रम में राजस्थान के सभी जिला एवं तहसील/ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्षों के मार्फत श्री ज्ञापन भेजे गये थे लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी अथवा कांग्रेस पार्टी की ओर से इन 58 सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की गई है।

अतः सचिवालय की रक्षा करने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा बनाये रखने के लिए तथा कांग्रेस का जातिवादी भेदरा उजागर करने के लिए दिनांक 16 फरवरी 2016 को दोपहर 1.15 बजे स्थानीय

पर श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन किया जावेगा।

आप सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनायें।

धन्यवाद

निवेदक

समता आन्दोलन समिति

प्रेस विज्ञापित का प्रारूप :-

**जातिवादी राजनीति की पोषक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का
पुतला दहन दिनांक 16.02.2016 को होगा।**

सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आये प्रतिनिधियों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि नुजरात हाईकोर्ट के जातिवादी आक्षेप विरोधी निर्णय देने वाले न्यायाधीश श्री जे.डी.चारदीवाला के विरुद्ध कांग्रेसी सांसदों के नेतृत्व में 58 राज्यसभा सांसदों द्वारा राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने जाने का समतल आन्दोलन द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है तथा कांग्रेस को इस देशद्रोही कृत्य से पृथक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में अब तक निम्न प्रयास किये जा चुके हैं:-

1. दिनांक 19.12.2015 को श्रीमती सोनिया गांधी को ज्ञापन भेजा गया है जिसकी प्रति संसद के सभी 795(545+250) सांसदों को भेजी गई। (प्रति संलग्न है)
2. दिनांक 30 एवं 31 जनवरी को उपरोक्त ज्ञापन की प्रति राज्यस्थान के सभी जिला एवं तहसील कांग्रेस अध्यक्षों की मार्फत श्रीमती सोनिया गांधी को भेजी गई।
3. दिनांक ————— को राज्यस्थान के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर कुल 3.00 लाख पम्पलेट वितरित करके जनता को जागरूक किया गया।(पम्पलेट प्रति संलग्न है)

अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा हमारे ज्ञापनों पर कोई कार्रवाही नहीं की गई है। जिससे पूरी तरह स्पष्ट है कि न्यायपालिका का आतंकित करने और जातिवादी राजनीति करने की राष्ट्रद्रोही कार्रवाही कांग्रेसी सांसदों द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर ही की जा रही है। अतः अब सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए दिनांक 16.02.2016 को स्थानीय ————— पर दोपहर 1.15 बजे श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन किया जावेगा।

अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/महामंत्री